



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 278 राँची, शुक्रवार,

16 अप्रैल, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

05 अप्रैल, 2021

संख्या- 4/नियुक्ति-01-01/2020 का.- 2107-- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के आधार पर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा अंतर्गत उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु श्री प्रांजल, अनुक्रमांक- 68061912 की अनुशंसा अनारक्षित कोटि के अंतर्गत की गई है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3681 दिनांक 29.07.2020 द्वारा श्री प्रांजल को उप समाहर्ता के पद पर नियुक्त करते हुए जिला प्रशिक्षण हेतु लोहरदगा जिला में पदस्थापित किया गया। परन्तु श्री प्रांजल द्वारा उप समाहर्ता के पद पर योगदान नहीं किया गया।

विभागीय पत्रांक 1053 दिनांक 18.02.2021 द्वारा श्री प्रांजल को अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 28.02.2021 तक योगदान करने का निदेश दिया गया।

उक्त पत्र के द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक 28.02.2021 तक अधिसूचित पद पर योगदान नहीं करने के पश्चात उनकी नियुक्ति रद्द करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक 17(i), दिनांक 05.03.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री प्रांजल द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान समर्पित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत परीक्ष्यमान उप समाहर्ता, लोहरदगा के पद पर योगदान हेतु छह माह से अधिक का समय दिये दिये जाने के बावजूद भी अधिसूचित पद पर योगदान नहीं करने के कारण राज्य सरकार द्वारा श्री प्रांजल की उप समाहर्ता के पद पर की गई नियुक्ति को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
